राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
www. rsmsssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः–प.14(80)RSSB /अर्थना / स.बा.वि.से. / पर्य.(आंगनबाडी) / पार्ट–II / 2018 / 3365 दिनांक : 11/09/2020

–:: विज्ञप्ति ::–

पर्यवेक्षक (महिला) (आंगनबाडी कार्यकर्ता कोटा) सीधी भर्ती परीक्षा–2018 में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की नवीन चतुर्थ श्रेणी के अनुसार आवेदन में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र आंमत्रित करने बाबत्

बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षक (महिला) (आंगनबाडी कार्यकर्ता कोटा) सीधी भर्ती परीक्षा–2018 में संबंधित विभाग से प्राप्त अर्थना के अनुसार विज्ञापित पदों के अनुरूप दिव्यांगजनों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। विभाग से दिव्यांगजन के संबंध में 4 प्रतिशत आरक्षण सहित संशोधित अर्थना के अनुरूप दिव्यांगजन की नवीन चतुर्थ श्रेणी MI/MD (Mental Illness/Muitiple Disorders) {1. ऑटिज्म, बौद्धिक निशक्तता, लर्निंग निशक्तता एवं मानसिक रूग्णता तथा 2. बहुविकलांगता अर्थात् दिव्यांगता की एक से अधिक श्रेणी} उपलब्ध होने पर इनका दस्तावेज सत्यापन कराए जाने हेतु अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। इस हेतु पूर्व में जिन दिव्यांगजन ने उक्त भर्ती परीक्षा में आवेदन किया है, उनमें से दिव्यांगजन की नवीन चतुर्थ श्रेणी में होने पर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है।

अतः पर्यवेक्षक (महिला) (आंगनबाडी कार्यकर्ता कोटा) सीधी भर्ती परीक्षा–2018 में पूर्व में आवेदन कर चुके **दिव्यांग अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है** कि यदि वे कार्मिक(क–2) विभाग द्वारा दिनांक 29.8.2019 को जारी परिपत्र क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक / क–2 / 2019 में परिभाषित नवीन चतुर्थ श्रेणी MI/MD (Mental Illness/Multiple Disorders) {1. आटिज्म, बौद्धिक निशक्तता, लर्निंग निशक्तता एवं मानसिक रूग्णता तथा 2. बहुविकलांगता अर्थात् दिव्यांगता की एक से अधिक श्रेणी} में आते है तो **विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र मय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि बोर्ड कार्यालय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर** में जमा करवा दें। उक्त अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर इन अभ्यर्थियों का पर्यवेक्षक (महिला) (आंगनबाडी कार्यकर्ता कोटा) के पद पर चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। **पूर्वकालिक तीनों श्रेणियों** (LD/CP, B/LV, H.I.) **के जिन अभ्यर्थियों ने अपने दिव्यांगता परीक्षा आवेदन भरते समय आवेदन में अंकित कर दी थी, उन्हें पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।** अधिक जानकारी के लिए कृपया बोर्ड की वेबसाईट http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करते रहे।

भवदीय,

(डॉ0 मुकुट बी0 जांगिड)
सचिव